29

संख्या–210 /XXVIII(1)2015-16(नर्सिंग)/2011

प्रेषक,

आर0के0 सुधांशु,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
चिकित्सा शिक्षा विभाग,
उत्तराखण्ड।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 26 फरवरी, 2015

विषयः– 13वें वित्त आयोग के अन्तर्गत संस्तुत नर्सिंग कॉलेज, चमोली निर्माण कार्यो हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ प्रथम किश्त की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप सचिव, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, वित्त आयोग डिवीजन, भारत सरकार के पत्र संख्या–F.10(1)/FCD/2009 दिनांक 10 फरवरी, 2015 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नर्सिंग कॉलेज, चमोली के निर्माण हेतु व्यय वित्त समिति तथा एच0एल0एम0सी0 द्वारा अनुमोदित धनराशि ₹ 1811.40 लाख (सिविल निर्माण कार्यो हेतु ₹ 892.97 लाख + उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यो हेतु ₹ 918.43 लाख) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए भारत सरकार के उक्त पत्र द्वारा प्राप्त प्रथम किश्त **₹ 9.37 करोड़ (₹ नौ करोड़ सैंतीस लाख मात्र)** चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्ययक में से अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

i. निर्माण कार्य प्री–इंजीनियरिंग तकनीक से गुणवत्ता की अनुपालना सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

ii. अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र **दिनांक 28 फरवरी, 2015** से पूर्व शासन को उपलब्ध कराया जाना होगा, ताकि भारत सरकार को द्वितीय किश्त अवमुक्त किये जाने का प्रस्ताव प्रेषित किया जा सके।

iii. Roof की Detail Drawing संलग्नक नहीं है यदि Trussed Roof का निर्माण किया जा रहा है तो Truss की Design कर ली जाय।

iv. Trussed Roof का Design maximum wind pressure को लेते हुए एवं snow load के अनुसार कर लिया जाय।

v. Pre-Engineered Structures में जहां भूमि पूर्ण रूप से उपलब्ध हो निर्माण कार्य G + 1 (भूतल + प्रथम तल) में करवाया जाय।

vi. स्वीकृत धनराशि का उपयोग वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या–F.11(9)/FCD/2010 दिनांक 26 अप्रैल, 2011 दी गयी गाइड लाइन्स के अनुसार किया जायेगा।

vii. चिकित्सा अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या–1404/XXVIII(1)/2011-16(नर्सिंग)/2011 दिनांक 22 दिसम्बर, 2011 द्वारा प्रथम चरण कार्यो हेतु स्वीकृत धनराशि ₹ 7.68 लाख में से अवशेष धनराशि तत्काल राजकोष में जमा कर दी जाय।

viii. व्यय उसी मद में किया जायेगा, जिसके लिए स्वीकृत किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में समस्त प्रचलित वित्तीय नियमों/शासनादेशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

ix. भुगतान करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रस्तावित कार्य इण्डियन नर्सिंग काउन्सिल के मानकों के अनुरूप है एवं तद्नुसार ही सम्पादित किये जायेंगे।

x. उक्तानुसार अनुमन्य की जा रही धनराशि वर्णित सम्पूर्ण कार्य हेतु अधिकतम व्यय सीमा मात्र को प्राधिकृत करता है परन्तु धनराशि कार्यदायी संस्था को आवंटित किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि धनराशि का उपयोग नियमानुसार पूर्ण पारदर्शी प्रकिया से

किया गया हो एवं स्वीकृत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।

xi. शासनादेश संख्याः–475/XXVII(7)/2008, दिनांक 15.12.2008 में निर्धारित प्रारूप पर समझौता ज्ञापन (एम0ओ0यू0) अवश्य हस्ताक्षरित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। कार्यदायी संस्था को आवश्यक धनराशि एम0ओ0यू0 के निष्पादन के बाद अवमुक्त की जा सकेगी। कार्य एम0ओ0यू0 में निर्धारित समय सारिणी के अनुसार किया जायेगा तथा एम0ओ0यू0 में निर्धारित शर्त के अनुसार परियोजना के पूर्ण करने की अवधि में लागत पुनरीक्षण की अनुमति नहीं दी जायेगी। निर्माण कार्य को समयबद्ध रूप से पूर्ण किये जाने का समस्त उत्तरदायित्व विभागाध्यक्ष का होगा तथा परियोजनाओं को पूर्ण करने या उसकी प्रगति में विलम्ब की स्थिति में समझौता ज्ञापन (एम0ओ0यू0) के प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

xii. कार्यदायी संस्था द्वारा समय से कार्य पूरा न करने की दशा में debitable आधार पर अन्य एजेन्सी का अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के अन्तर्गत नियमानुसार चयन कर निर्माण कार्य पूरा किया जायेगा। स्वीकृत निर्माण कार्य को किसी भी दशा में, शासन की पूर्वानुमति के बिना, अपूर्ण अवस्था में समाप्त नहीं किया जायेगा।

xiii. कार्य करने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शेड्यूल ऑफ रेटस में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गयी हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता/सक्षम अधिकारी से अनुमोदित करना आवश्यक होगा।

xiv. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि से मद्देनजर रखते हुए एवं लो0नि0वि0 द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

xv. कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता (कार्य की आवश्यकतानुसार) से कार्य स्थल का भली–भॉति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाए ताकि निरीक्षण के पश्चात् दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाए।

xvi. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV-219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन कराया जाए।

xvii. कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

xviii. उक्त धनराशि आवश्यकतानुसार एवं कार्य की भौतिक/वित्तीय प्रगति के आधार पर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराई जायेगी। कार्यदायी संस्था कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि कार्य स्वीकृत लागत में ही पूर्ण कराया जायेगा तथा किसी भी दशा में लागत पुनरीक्षित नहीं की जायेगी।

xix. स्वीकृत धनराशि के आहरण से सम्बन्धित वाउचर संख्या एवं दिनांक की सूचना तत्काल उपलब्ध कराई जायेगी तथा धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका में उल्लिखित प्राविधानों में बजट मैनुअल तथा शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

xx. आगणन को जिन मदों हेतु राशि स्वीकृत की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाये, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाये।

xxi. कार्यदायी संस्था यह सुनिश्चित कर ले कि योजना हेतु किये जाने वाले कार्य आवंटन/निविदा/आउटसोर्स आदि की सूचना वेबसाइट पर प्रकाशित किये जाने हेतु

क्रमशः पेज–03 पर.....

समय–समय पर सूचनाऐं चिकित्सा शिक्षा विभाग को उपलब्ध करायी जायेंगी।

xxii. धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्कतानुसार अथवा मितव्ययता को ध्यान में रखकर किया जाये।

xxiii. कार्य का निष्पादन मानकानुसार व पूर्ण गुणवत्ता सहित कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

2– इस सम्बन्ध में होने वाला चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–12 के लेखाशीर्षक–4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय–03–चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान–105–एलोपैथी–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना–01–तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत नर्सिग प्रशिक्षण महाविद्यालय की स्थापना–24–वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3– उक्त स्वीकृति की कम्प्यूटर आई0डी0 संलग्न है।

4– यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0–353(P)/XXVII(3)/2014–15, दिनांक 25 फरवरी, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आर0 के0 सुधांशु)
सचिव।

संख्या– 210 /XXVIII(1)/2015-16(नर्सिंग)/2011, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1- श्री ए0के0 सचदेवा, उप सचिव, व्यय विभाग, वित्त आयोग डिवीजन, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, ब्लॉक नं0–XI, 5th फ्लोर, सी0जी0ओ0–काम्पलैक्स, नई दिल्ली को उनके पत्र–F.10(1)/FCD/2009 दिनांक 10 फरवरी, 2015 के क्रम में इस अनुरोध के साथ कि कृपया योजना की द्वितीय किश्त अवमुक्त करने का कष्ट करें।
2- श्री के0एम0एम0 अलिमल्लिमिगोठी, अपर आर्थिक सलाहकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, कक्ष सं0–401, डी–विंग, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
3- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, ओबराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
4- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल।
5- जिलाधिकारी, चमोली।
6- निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
7- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
8- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चमोली।
9- महाप्रबंधक, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, अंचल कार्यालय, प्रथम तल, ई–34, नेहरू कॉलोनी, देहरादून को इस आशय से कि विभाग से हुए एम0ओ0यू0 के अनुसार निर्माण कार्य करते हुए उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।
10- बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
11- वित्त अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
12- नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
13- वित्त आयोग निदेशालय, उत्तराखण्ड, सचिवालय परिसर।
14- निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
15- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एन0एस0 डुंगरियाल)
उप सचिव।